झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ग नवम् सत्र 2021–23 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – ...96.../2021

एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सत्र 2021–23 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2022 की नवम् वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्त्तों के अनुरुप लिया जाएगा :–

- वर्ग नवम् की परीक्षा का आयोजन दो सावधिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रथम सावधिक परीक्षा माह जनवरी, 2022 में तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा माह जून, 2022 में आयोजित होगी।
- प्रथम सावधिक परीक्षा बहुवैकल्पिक (MCQ) प्रश्नों पर आधारित होगी। यह परीक्षा ओ0एम0आर0 सीट के माध्यम से ली जाएगी।
- द्वितीय सावधिक परीक्षा अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगी।
- दोनों परीक्षाओं के लिए अलग–अलग पाठ्यक्रम झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (JCERT) द्वारा जारी किया गया है। तद्नुरुप परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित कर वर्ग नवम की परीक्षा, 2022 के परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत् है :–

शुल्क विवरणी	ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास Online submit करने की तिथि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र approve करने की तिथि	चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	13.11.2021 से 04.12.2021 तक	16.11.2021 से 07.12.2021 तक	07.12.2021	09.12.2021
विलम्ब शुल्क सहित	08.12.2021 से 15.12.2021 तक	09.12.2021 से 17.12.2021 तक	17.12.2021	20.12.2021

नोट :– दिनांक 07.12.2021 के बाद जेनरेट होनेवाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे।

उक्त तिथि के पश्चात् फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुरुप विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे।

- ➢ जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क Indian Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे।
- ➢ शुल्क जमा करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (विद्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित) के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्र–छात्राओं का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, जिनका नाम Consolidated list में होगा।

- ❖ **आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात् निकाले गये चेकलिस्ट पर छात्र–छात्रा एवं उनके माता–पिता/अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् यदि डाटा में कोई भी गलती पाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी एवं इसमें सुधार हेतु विद्यालय को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।**
- ❖ **छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चेकलिस्ट भी परिषद् कार्यालय में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।**
- ❖ **ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र–छात्राओं के फोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र–छात्रा के प्रपत्र में स्कैन कर डाल दिया जाता है, जो आवेदन प्रपत्र भरने में लापरवाही का द्योतक है। इसके बाद इसमें संशोधन हेतु छात्र–छात्रा एवं परिषद् को अनावश्यक परेशानी होती है। विद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि सभी छात्र–छात्राओं की विवरणी शुद्ध–शुद्ध ऑनलाइन पोर्टल में भरें।**
- ❖ **सभी विद्यालयों का अपना ई–मेल आई0डी0 होना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल आई0डी0 के माध्यम से ही भविष्य में परिषद् द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। विद्यालय से अलग ई–मेल आई0डी0 देने या उसका पासवर्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तगत कराने के उपरान्त किसी प्रकार की गोपनीयता भंग होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।**
- ❖ **वैसे विद्यालय, जिन्हें Login ID एवं Password प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, Login ID एवं Password के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में अनुरोध करेंगे।**

निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए पंजीयन शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

(1)	राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय।	(6)	कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय।
(2)	सरकार द्वारा स्थापित 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय	(7)	प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय।
(3)	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।	(8)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)।
(4)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984–85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(9)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (गैर अनुदानित)।
(5)	सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय ।	(10)	केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय।

शुल्क की राशि

(क) नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्रा के लिए पंजीयन प्रपत्र शुल्क – ₹ 80/– प्रति छात्र/छात्रा देय होगा। नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए नवम वर्ग की परीक्षा, 2022 का परीक्षा शुल्क ₹ 90/– देय होगा।

(ख) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क ₹ 90/– देय नहीं होगा।

(ग) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क ₹ 90/– प्रति छात्र देय होगा।

(घ) पूर्णतः स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए
पंजीयन शुल्क – ₹ 400/–
अनुमति शुल्क – ₹ 500/–

(ङ) पंजीयन विलम्ब शुल्क – ₹ 300/–

(च) निम्नलिखित कोटि के विद्यालय प्रधान ही स्वतंत्र छात्र–छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन–प्रपत्रों को अग्रसारित कर सकेंगे :–

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
4. राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।
5. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है।

उक्त क्रियाशीलन के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

(छ) स्वतंत्र छात्र/छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम् की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे।

1. स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय, आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं हैं, वे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूल प्रति जमा करना होगा।
2. **दिनांक 01.03.2009 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।**
3. छात्र/छात्राओं के पंजीयन विवरणी में सुधार चालान जेनरेट करने के पूर्व करना सम्भव हो सकेगा। चालान जेनरेट करने के बाद विवरणी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
4. स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखण्ड राज्य के निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा जो सामेकित विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना होगा।

नोट : 1) कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, मॉडल विद्यालय, झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषित नहीं करेंगे।

2) सभी विद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरणी, आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर परिषद् कार्यालय में हस्तगत कराना सुनिश्चत करेंगे।

2) पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरी जाय। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे छात्र/छात्रा सामान्य कोटि के माने जायेंगे। भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जायेगा।

3) वर्ग नवम् के मॉडल प्रश्नपत्र जे0सी0ई0आर0टी0 के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यालय प्रधान उसे डाउनलोड कर छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए अभ्यास कराना सुनिश्चित करेंगे।

JAC/Exo/2914/21/SECY/627/21.
Dt- 12/11/2021.
D.O.P- 13/11/2021.

अध्यक्ष के आदेश की प्रत्याशा में,

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।